न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022/43

भैरूलाल आत्मज प्रहलाद (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
1. परमानन्द उम्र 40 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री भैरूलाल जाति मीणा ।
2. ओमप्रकाश उम्र 30 वर्ष पुत्र स्वर्गीय श्री भैरूलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

—अपीलान्ट

बनाम

1. चौथमल पुत्र लालू जाति मीणा निवासी ग्राम बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
2. बद्री बाई पुत्री प्रहलाद जाति मीणा ।
3. मांग्या उर्फ मागीलाल पुत्र भूरा मृतक जरिये कायममुकामान :–
   3/1. धनराज दत्तक पुत्र मांग्या उर्फ मांगीलाल जाति मीणा ।
4. कमलेश बाई पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल जी जाति मीणा ।
5. ममता बाई पुत्री स्वर्गीय भैरूलाल जी जाति मीणा ।
6. कल्याणी बाई पत्नी स्वर्गीय भैरूलाल जाति मीणा निवासीगण ग्राम बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

—रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र माथुर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 10.11.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त तीनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा में साबिक

खसरा नम्बर 363 की रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि वादी के पिता लालू पुत्र गोरधन व वादी के काका शंकर पुत्र गोरधन मीणा का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त भूमि में प्रतिवादी कम 2 व 3 के पिता प्रहलाद पुत्र भूरा व प्रतिवादी कम 04 मांग्या पुत्र भूरा जाति मीणा का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । सेटलमेंट विभाग भू–सुधार कार्यकम के दौरान भूमियों का सेटलमेंट करते समय सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 256 रकबा 2.18 हैक्टर व खसरा नम्बर 423 रकबा 2.44 हैक्टर बनाये गये । नवीन खसरा नम्बर 256 रकबा 2.18 हैक्टर, खसरा नम्बर 423 रकबा 2.44 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 4.62 हैक्टर मुताबिक जमाबन्दी भू–प्रबन्ध संवत् 2041–60 में प्रहलाद, मांग्या पिता भूरा हिस्सा 1/2 व लालू, शंकर पिता गोरधन हिस्सा 1/2 राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज है । वादी के काका शंकर पुत्र गोरधन अविवाहित ही फौत हो गये थे । उन्होंने अपने हिस्से की भूमि को किसी के पक्ष में बेचान, दान, वसीयत नहीं की है । वादी काका की मृत्यु वादी के पास ही हुई थी और वादी द्वारा ही उनका कियाकर्म किया गया था । वादी ही मृतक शंकरलाल का विधिक वारिस है । वादी के पिता मृतक लालू के 02 पुत्र स्वयं वादी चौथमल व जगन्नाथ तथा गोपी पुत्री, जगन्नाथी पुत्री व शंकरी पत्नी वारिसान हैं । वादी के भाई जगन्नाथ अविवाहित फौत हो चुका है । मृतक जगन्नाथ मृत्यु उपरान्त अपना सम्पूर्ण जीवन अपने भाई चौथमल के पास ही व्यतीत किया । वादी चौथमल ही अपने मृतक भाई जगन्नाथ का विधिक वारिस है । वादपत्र की मद संख्या 02 में वर्णित वादी के पारिवारिक सजरा अनुसार वादी चौथमल के बहिने जगन्नाथी व मॉ शंकरी हैं जो मीणा जाति के सदस्य हैं । मीणा जाति के व्यक्तियों पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम का कानून लागू नही होता है । जिसके अनुसार पुत्र होने की स्थिति में पिता की सम्पत्ति में पुत्री व पत्नी का कोई अधिकार व हित नहीं होता है । इस प्रकार वादी सम्पूर्ण आराजी में 1/2 हिस्से पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी वादी को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर उक्त भूमि से लालू पुत्र गोरधन जाति मीणा, शंकर पुत्र गोरधन जाति मीणा का नाम विलोपित कर वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के 1/2 हिस्से की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें । उक्त कृत्य न तो स्वयं प्रतिवादीगण करें और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें ।

4. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.07.2021 के द्वारा वाद वादी स्वीकार कर डिकी कर दिया ।

5. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 16.07.2021 से व्यथित होकर प्रतिवादी कम 03 मृतक भैरूलाल के वारिसान अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट के पिता भैरूलाल जी का देहावसान दिनांक 25.11.2019 को एवं अपीलान्ट के चाचा मांग्या जी का देहावसान दिनांक 14.09.2020 को हो चुका था । रेस्पोडेन्ट कम 01 को भैरूलाल जी एवं मांग्या जी की पूर्व में ही मृत्यु हो जाने की जानकारी रही है । वादी रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के मृत पिता भैरूलाल व चाचा मांग्या जी को पक्षकार बनाकर वाद प्रस्तुत कर डिकी करवा लिया जो त्रुटिपूर्ण है । अतः

अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलान्ट ग्रामीण परिवेश के कम पढे–लिखे व्यक्ति हैं । परीक्षण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अपीलान्ट के मृत पिता व चाचा को पक्षकार बनाकर पर उक्त वाद अपने पक्ष में डिक्री करवा लिया । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री की जानकारी अपीलान्ट को रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा दिनांक 02.03.2022 को बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 03.03.2022 को आवेदन प्रस्तुत किया और नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । परीक्षण न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि है । उक्त भूमि अपीलान्ट के दादा रघुनाथ जी के खातेदारी में दर्ज रही है । रघुनाथ पुत्र लक्ष्मण जी लाऔलाद फौत हुए थे । रघुनाथ जी द्वारा अपीलान्ट के दादा प्रहलाद जी को गोद पुत्र लिया गया था और रघुनाथ जी की मृत्यु के पश्चात् उक्त आराजी उनके वारिस व उत्तराधिकारी प्रहलाद जी को प्राप्त हुई है । परन्तु रघुनाथ जी के देहान्त के पश्चात् उक्त भूमि पूर्णतया गलत व गैर कानूनी रूप से वादी के साथ–साथ उनके मूलवशं के सम्बन्धी रेस्पोडेन्ट कम 01 के पिता लालू व चाचा शंकर एवं मांग्या जी के नाम दर्ज कर दिया । उक्त गलत अंकन से लालूजी, शंकर जी की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट कम 01 को एवं मांग्या जी की मृत्यु के पश्चात् रेस्पोडेन्ट कम 03 को कोई भी हक अधिकार प्राप्त नहीं होते । उक्त आराजी गोरधन जी की मृत्यु के पश्चात् उने दत्तक पुत्र प्रहलाद व प्रहलाद की मृत्यु के बाद उनके पुत्र भैरूलाल व भैरूलाल की मृत्यु के बाद अपीलान्ट को प्राप्त हुई है जिस पर अपीलान्टगण निरन्तर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि के किसी हिस्से पर रेस्पोडेन्ट का कोई भी हक अधिकार निहित नहीं है । अपीलान्ट के पिता भैरूलाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट कम 01 चौथमल के विरूद्ध दिनांक 01.02.2017 को ही खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद संख्या 09/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में पेश कर दिया था जो अभी विचाराधीन है । भैरूलाल जी द्वारा प्रस्तुत किये गये वाद की रेस्पोडेन्ट कम 01 को भली–भांति जानकारी रही है । इसके बावजूद भी वादी रेस्पोडेन्ट ने परीक्षण न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर गलत तरीके से उक्त वाद को डिक्री करवा लिया । अपीलान्ट के पिता भैरूलाल की मृत्यु दिनांक 25.11.2019 को एवं अपीलान्ट के चाचा की मृत्यु दिनांक 14.09.2020 को हो चुकी थी । वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 को अपीलान्ट के पिता एवं चाचा की मृत्यु की सम्पूर्ण जानकारी थी । रेस्पोडेन्ट कम 01 ने अपीलान्ट के मृत पिता को पक्षकार फर्जी तामील करवाकर मृत व्यक्ति के खिलाफ जारी करवायी है । इस प्रकार परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई

जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में आरआरटी 2017 पेज 1047, आरआरटी 2014 पेज 873 उद्धरत की ।

9. विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्ट को परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री को चैलेंज करने का अधिकार नहीं है । अपीलान्ट द्वारा अपील के साथ धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये बिना ही अपील पेश की है । अपीलान्ट ने गोदनामे की झूठी कहानी बनाकर उक्त अपील पेश की है । अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नहीं है क्योंकि इनके द्वारा धारा 96 सीपीसी के प्रार्थना पत्र के बिना ही अपील प्रस्तुत की है । परीक्षण न्यायालय में कोई वाद भैरूलाल ने प्रस्तुत किया हो इसकी मुझे जानकारी नहीं है । विद्वान् अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने यह भी कथन किया है कि पुलिस रिपोर्ट कब्जे को लेकर कोई रिपोर्ट का कोई औचित्य नहीं है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2021 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होते हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

11. परीक्षण न्यायालय की पत्रावली संलग्न दस्तावेजात नकल जमाबन्दी संवत् 2013 से 2016 प्रदर्श– पी–1 है जिसके अनुसार ग्राम बागली नायब तहसील इन्द्रगढ जिला कोटा खसरा नम्बर 363 की 28 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रहलाद, मांग्या पिता भूरा हिस्सा 1/2, लालू, शंकर पिता गोरधन हिस्सा 1/2 कौम मीणा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है । नकल जमाबन्दी संवत् 2017 से 2020 प्रदर्श– पी–2 है जिसके अनुसार ग्राम बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 363 की रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रहलाद, मांग्या पिता भूरा हिस्सा 1/2, लालू, शंकर पिता गोरधन हिस्सा 1/2 कौम मीणा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है । नकल जमाबन्दी संवत् 2021–2024 प्रदर्श– पी–3 है जिसके अनुसार ग्राम बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 363 की रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रहलाद, मांग्या पिता भूरा हिस्सा 1/2, लालू, शंकर पिता गोरधन हिस्सा 1/2 कौम मीणा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है । नकल जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 प्रदर्श– पी–4 है जिसके अनुसार ग्राम बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 363 की रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रहलाद, मांग्या पिता भूरा हिस्सा 1/2, लालू, शंकर पिता गोरधन हिस्सा 1/2 कौम मीणा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है । नकल जमाबन्दी संवत् 2029 से 2032 प्रदर्श– 5 है जिसके अनुसार ग्राम बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 363 की रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रहलाद, मांग्या पिता भूरा हिस्सा 1/2, लालू, शंकर

पिता गोरधन हिस्सा 1/2 कौम मीणा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है । नकल जमाबन्दी संवत् 2033 से 2036 प्रदर्श– पी–6 है जिसके अनुसार ग्राम बागली तहसील पीपल्दा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 363 की रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रहलाद, मांग्या पिता भूरा हिस्सा 1/2, लालू, शंकर पिता गोरधन हिस्सा 1/2 कौम मीणा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2041 से 2060 प्रदर्श– पी–7 है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 363 मिन रकबा 28 बीघा 04 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 256 रकबा 2.18 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 423 रकबा 2.44 हैक्टर कायम किये गये हैं । नकल जमाबन्दी भू–प्रबन्ध विभाग संवत् 2041–2060 प्रदर्श–पी–8 है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 256 की 2.18 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 423 की रकबा 2.44 हैक्टर कुल किता 02 की कुल रकबा 4.62 हैक्टर भूमि प्रहलाद, मांग्या पिता भूरा हिस्सा 1/2, लालू, शंकर पिता गोरधन हिस्सा 1/2 कौम मीणा साकिन देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है । नकल जमाबन्दी संवत् 2070 से 2073 प्रदर्श– पी–9 है जिसके अनुसार खसरा नम्बर खसरा नम्बर 256 की 2.18 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 423 की रकबा 2.44 हैक्टर कुल किता 02 की कुल रकबा 4.62 हैक्टर भूमि भैरू पुत्र बद्री, लाड बाई पुत्री प्रहलाद हिस्सा 1/4, मांग्या पुत्र भूरा हिस्सा 1/4 लालू, शंकर पुत्र गोरधन हिस्सा 1/2 जाति मीणा साकिन देह के खाते दर्ज है तथा नामान्तरकरण संख्या 509 दिनांक 21.05.2015 से लाडबाई द्वारा शेष खातेदारान के पक्ष में हक त्याग किये जाने का नोट अंकन है । नकल जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 प्रदर्श – पी–10 है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 256 की 2.18 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 423 की रकबा 2.44 हैक्टर कुल किता 02 की कुल रकबा 4.62 हैक्टर भूमि बद्री पुत्री प्रहलाद हिस्सा 1/12, भैरू पुत्र प्रहलाद हिस्सा 1/8, मांग्या पुत्र भूरा हिस्सा 7/24, लालू पुत्र गोरधन हिस्सा 1/4, शंकर पुत्र गोरधन हिस्सा 1/4 जाति मीणा साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है । मृत्यु प्रमाण पत्र लालू पुत्र गोरधन प्रदर्श– पी–11 है जिसके अनुसार लालू की मृत्यु दिनांक 25.07.1965 को होना अंकित है । मृत्यु प्रमाण पत्र शंकर लाल पुत्र गोरधन प्रदर्श– पी–13 है जिसके अनुसार शंकर लाल की मृत्यु दिनांक 12.08.1951 को होना अंकित है । मृत्यु प्रमाण पत्र जगन्नाथ पुत्र लालू प्रदर्श– पी–13 है जिसके अनुसार जगन्नाथ की मृत्यु दिनांक 27.07.1995 को होना अंकित है । मृत्यु प्रमाण पत्र गोपी बाई पुत्री लालू प्रदर्श– पी–14 है जिसके अनुसार गोपी की मृत्यु दिनांक 24.04.1995 को होना अंकित है । मृत्यु प्रमाण पत्र जगन्नाथी बाई प्रदर्श– पी–15 है जिसके अनुसार जगन्नाथी की मृत्यु दिनांक 18.12.2012 को होना अंकित है । ग्राम पंचायत बागली द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 20.09.2019 प्रदर्श– पी–16 संलग्न है । ग्राम पंचायत बागली द्वारा जारी वारिसान प्रमाण पत्र दिनांक 20.09.2019 प्रदर्श– पी–17 संलग्न है ।

12. न्यायालय हाजा की पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त स्पष्ट है कि अपीलान्ट के पिता भैरूलाल जी द्वारा अपने जीवनकाल में रेस्पोडेन्ट कम 01 चौथमल के विरूद्ध दिनांक 01.02.2017 को खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद संख्या 09/2017 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा में पेश कर दिया था जो विचाराधीन है । उक्त वाद में भैरूलाल की मृत्यु होने के उपरान्त मृतक भैरूलाल के कायममुकाम को रिकॉर्ड पर लिये जाने की कार्यवाही की जा चुकी है । इस प्रकार वादी रेस्पोडेन्ट को अपीलान्ट के पिता भैरूलाल की मृत्यु के सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त थी । उनके उपरान्त भी वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 चौथमल ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत दिनांक 04.02.2021 को

प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादी कम 01 तहसीलदार पीपल्दा प्रतिवादी संख्या 02 बद्री लाल पुत्र प्रहलाद एवं प्रतिवादी कम 03 भैरूलाल पुत्र प्रहलाद, प्रतिवादी कम 04 मांग्या पुत्र भूरा को पक्षकार बनाया गया है । प्रस्तुत प्रकरण में न्यायालय हाज की पत्रावली में संलग्न मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार भैरूलाल पुत्र प्रहलाद की मृत्यु दिनांक 25.11.2019 को होना अंकन है । इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में वादी रेस्पोडेन्ट कम 01 द्वारा मृतक भैरूलाल को पक्षकार बनाते हुए वाद पेश किया जिसे परीक्षण न्यायालय में डिक्री कर दिया । परीक्षण न्यायालय के द्वारा दिनांक 16.07.2021 को मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया गया है जो विधिक रूप से नलिटी (Nullity)है । चूँकि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट आपस में सम्बन्धी हैं । अतः यह नहीं माना जा सकता कि वादीगण रेस्पोडेन्ट को प्रतिवादी कम 3 भैरूलाल व प्रतिवादी कम 4 मांग्या की मृत्यु की जानकारी नहीं थी । जिस तरह से मृत व्यक्ति की तामील करवायी गई है वह भी प्रकियात्मक रूप से सही नहीं है । भैरूलाल स्वयं ने एक वाद विवादित आराजी को लेकर परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है । प्रकरण में भूमि पर कब्जे को लेकर भी उभयपक्ष ने अपने–अपने तर्क व पक्ष रखा है । विवादित भूमि को लेकर एक अन्य वाद परीक्षण न्यायालय में पक्षकारान के मध्य लम्बित है । हमारे विनम्र मत में प्रतिवादी कम 3 भैरूलाल व प्रतिवादी कम 4 मांग्या उसी वंशवृक्ष से हैं । अतः उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए । अतः ऐसी स्थिति में हम इस प्रकरण में अपीलान्टगण जो कि रामकिशन के विधिक वारिस हैं उनको सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 16.07.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट को जवाब प्रस्तुत करने सुनवाई का अवसर प्रदान कर गुणावगुण के आधार पर विधि सम्मत रूप से नवीन सिरे निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.12.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 10.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा